संख्या-14/2017-1348/58-2017-118/2016

प्रेषक,

सुधीर गर्ग,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

उद्यान अनुभाग **लखनऊ: दिनांक 10 जुलाई, 2017**

विषय: **वित्तीय वर्ष 2017-18 में विभाग के अन्तर्गत संचालित विभिन्न योजनाओं यथा एकीकृत बागवानी मिशन, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, प्रधानमंत्री कृषि सिचाई योजना एवं अनुसूचित जाति एवं जनजाति औद्यानिक विकास योजना के अन्तर्गत डी0बी0टी0 के माध्यम से क्रियान्वयन के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-ले0मि0-26/डी0बी0टी0/नि0नी0/2017-18/लखनऊ, दिनांक 24 मई 2017 का सन्दर्भ ग्रहण करें।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि विभाग में संचालित विभिन्न योजनाओं यथा एकीकृत बागवानी मिशन, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, प्रधानमंत्री कृषि सिचाई योजना एवं अनुसूचित जाति एवं जनजाति औद्यानिक विकास योजना के अन्तर्गत डी0बी0टी0 के माध्यम से क्रियान्वयन हेतु शासनादेश सं0-28/2016-912/58-2016-118/2016, दिनांक 07.04.2016 द्वारा विभिन्न कार्यक्रमों में रोपण सामग्री एवं अन्य आवश्यक औद्यानिक एवं कृषि निवेशों पर देय अनुदान प्रदेश के पंजीकृत/चयनित कृषकों को डायरेक्ट बेनिफिट ट्रान्सफर(डी0बी0टी0) के माध्यम से कृषकों के बैंक खाते में सीधे आर0टी0जी0एस0 के द्वारा स्थानान्तरित किये जाने की व्यवस्था की गयी है। सम्यक विचारोपरान्त वित्तीय वर्ष 2017-18 हेतु विभाग में संचालित योजनाओं हेतु उपरोक्त शासनादेश दिनांक 07.04.2016 में संशोधन करते हुए निम्नवत् व्यवस्था निर्धारित की जाती है:-

1- हल्दी रोपण सामग्री की व्यवस्था-

हल्दी की टी0एस0जी0 द्वारा चयनित प्रजातियों के बीजों की व्यवस्था जनपद के पंजीकृत/चयनित लाभार्थी कृषकों द्वारा चयनित क्षेत्रफल हेतु निर्धारित मात्रा में भारत सरकार/राज्य सरकार की संस्थाओं से उनकी निर्धारित दरों पर/जनपद के पंजीकृत/लाइसेन्सधारी बीज विक्रेताओं से अपनी स्वेच्छानुसार एम0आर0पी0 से अनधिक दरों (आवेदित क्षेत्रफल हेतु निर्धारित मात्रा की रोपण सामग्री) पर नकद मूल्य पर क्रय किया जायेगा। चयनित कृषक द्वारा हल्दी रोपण सामग्री क्रय के पश्चात क्रय रसीद संबंधित जनपदी उद्यान अधिकारी को उपलब्ध करायी जायेगी।

2- संकर शाकभाजी एवं मसाला बीज की व्यवस्था-

(i) विभाग में संचालित विभिन्न योजनाओं में संकर शाकभाजी एवं मसाला बीज की गुणवत्तायुक्त अधिक उत्पादन देने वाली प्रजातियों का चयन पंजीकृत / चयनित कृषकों द्वारा स्वेच्छानुसार किया जायेगा।

(ii) पंजीकृत/चयनित कृषकों द्वारा स्वेच्छानुसार संकर शाकभाजी एवं मसाला बीजों का क्रय मूल उत्पादक फर्म/कम्पनियों/डीलर/डिस्ट्रीब्यूटर/सीड एक्ट-1966 के प्राविधानों के अन्तर्गत पंजीकृत/लाइसेन्सधारी बीज विक्रेताओं से एम0आर0पी0 से अनधिक दरों पर (आवेदित क्षेत्रफल हेतु निर्धारित मात्रा की रोपण सामग्री) नकद मूल्य पर किया जायेगा। लाभार्थी कृषक द्वारा संकर बीज क्रय रसीद संबंधित जनपदीय उद्यान अधिकारी को उपलब्ध करायी जायेगी।

3- पुष्प के बीज/बल्ब/कार्म की व्यवस्था-

ग्लैडियोलस कार्म/रजनीगंधा बल्ब एवं गेंदा बीज-

टी.एस.जी. द्वारा ग्लैडियोलस कार्म/रजनीगंधा बल्ब एवं गेंदा बीज की संस्तुत प्रजातियों के रोपण सामग्री कार्म/बीज/बल्ब का क्रय पंजीकृत/चयनित कृषकों द्वारा भारत सरकार/राज्य सरकार के संस्थानों/पंजीकृत/लाइसेन्सधारी बीज विक्रेताओं जो वाणिज्य कर विभाग कृषि विभाग से कार्म/बीज/बल्ब विक्रय हेतु पंजीकृत हो से स्वेच्छानुसार एम0आर0पी0 से अनधिक दरों (आवेदित क्षेत्रफल हेतु निर्धारित मात्रा की रोपण सामग्री) पर नगद मूल्य पर क्रय किया

http://shasanadesh.up.nic.in

जायेगा। लाभार्थी कृषक द्वारा कार्म/बीज/बल्ब क्रय रसीद संबंधित जनपदीय उद्यान अधिकारी को उपलब्ध करायी जायेगी।

4- बायोफर्टीलाइजर/माइक्रोन्यूट्रिएन्ट/बायोपेस्टीसाइड व बायोएजेन्ट्स की व्यवस्था-

विभागीय विभिन्न योजनाओं में आवश्यक बायोफर्टिलाइजर/लाभार्थी के खेत की मृदा परीक्षण में पायी गयी कमियों के परिप्रेक्ष्य में मृदा शक्ति बढाने हेतु माइक्रोन्यूट्रियन्ट की व्यवस्था एफ0सी0ओ0 एक्ट 1985 में निर्धारित मानकों एवं प्रविधानों के अनुसार मूल उत्पादक फर्म/कम्पनी/संस्था/डीलर/डिस्ट्रीब्यूटर/ पंजीकृत/लाइसेन्सधारी विक्रेताओं से नकद मूल्य पर अपनी स्वेच्छानुसार एम0आर0पी0 से अनधिक दरों पर क्रय की जायेगी। इसी प्रकार आवश्यक बायोपेस्टीसाइड हेतु इनसेक्टीसाइड एक्ट 1968 एवं 1971 में निर्धारित मानकों/प्राविधानों के अनुसार तथा बायोएजेन्टस मूल उत्पादक फर्म/कम्पनी/संस्था/डीलर/ डिस्ट्रीब्यूटर/पंजीकृत/लाइसेन्सधारी विक्रेताओं से नकद मूल्य पर अपनी स्वेच्छानुसार एम0आर0पी0 से अनधिक दरों पर क्रय की जायेगी। लाभार्थी कृषक द्वारा बायोफर्टिलाइजर/माइक्रोन्यूट्रिएन्ट/बायोपेस्टीसाइड व बायोएजेन्टस की क्रय रसीद संबंधित जनपदीय उद्यान अधिकारी को उपलब्ध करायी जायेगी।

5- वर्मी कम्पोस्ट/नीमकेक की व्यवस्था-

विभागीय विभिन्न योजनाओं में आवश्यक वर्मी कम्पोस्ट एवं नीमकेक की व्यवस्था भारत सरकार के एफ0सी0ओ0 एक्ट-1985 में निर्धारित मानकों एवं प्राविधानों के अनुसार मूल उत्पादक फर्म/कम्पनी/ संस्थाओं/डीलर/डिस्ट्रीब्यूटर/पंजीकृत/लाइसेन्सधारी विक्रेताओं जो वाणिज्य कर विभाग अथवा कृषि विभाग उ0प्र0 से जैव उर्वरक जैव रसायन आर्गेनिक खाद्य के विक्रय हेतु पंजीकृत हों से नकद मूल्य पर एम0आर0पी0 से अनधिक दरों पर स्वेच्छानुसार क्रय किया जायेगा। लाभार्थी कृषक द्वारा वर्मी कम्पोस्ट/नीमकेक की क्रय रसीद संबंधित जनपदीय उद्यान अधिकारी को उपलब्ध करायी जायेगी।

6- टिशूकल्चर केले के पौध की व्यवस्था-

विभागीय विभिन्न योजनाओं में जी-9 टिशूकल्चर केले के पौधों की आवश्यकतानुसार व्यवस्था पंजीकृत/चयनित कृषकों द्वारा भारत सरकार के बायोटेक्नोलाजी विभाग के एन0सी0एस0-टी0सी0पी0 अद्यतन अभिप्रमाणित संस्थाओं से उनकी एम0आर0पी0 से अनधिक दरों पर (आवेदित क्षेत्रफल हेतु निर्धारित मात्रा की रोपण सामग्री) अपनी स्वेच्छानुसार नकद मूल्य पर क्रय किया जायेगा। लाभार्थी कृषक द्वारा टिश्यूकल्चर केले के पौधों की क्रय रसीद संबंधित जनपदीय उद्यान अधिकारी को उपलब्ध करायी जायेगी।

7- प्लास्टिक क्रेटस की व्यवस्था-

विभाग की संचालित विभिन्न योजनान्तर्गत प्लास्टिक क्रेटस का क्रय योजना के दिशा-निर्देशों के अनुसार पंजीकृत/चयनित कृषकों द्वारा बी0आई0एस0 स्टैण्डर्ड प्राप्त मूल उत्पादक फर्म/कम्पनी/संस्था/डिस्टीब्यूटर/डीलर/ पंजीकृत/लाइसेन्सधारी विक्रेताओं से जो वाणिज्य कर विभाग द्वारा प्लास्टिक क्रेटस के विक्रय हेतु पंजीकृत हों से नगद मूल्य पर अपनी स्वेच्छानुसार एम0आर0पी0 से अनधिक दरों पर नकद मूल्य पर क्रय की जायेगी। लाभार्थी कृषक द्वारा प्लास्टिक क्रेटस की क्रय रसीद संबंधित जनपदीय उद्यान अधिकारी को उपलब्ध करायी जायेगी।

3- उक्त क्रम सं0-01 से 07 तक के बिन्दुओं में इंगित रोपण सामग्री एवं निवेशों के क्रय से संबंधित बाउचर प्राप्त होने के उपरान्त संबंधित जनपद के जनपदीय उद्यान अधिकारी/अधीनस्थ उद्यान कर्मियों के द्वारा सत्यापन किया जायेगा। सत्यापन के उपरान्त जनपदीय उद्यान अधिकारी द्वारा एम0आई0डी0एच0 योजना के दिशा-निदेशों में संबंधित फसल की इकाई लागत में रोपण सामग्री एवं निवेशों हेतु अधिकतम अनुमन्य अनुदान की धनराशि के समतुल्य धनराशि का ही भुगतान सीधे लाभार्थी कृषक के बैंक खाते में डायरेक्ट बेनीफिट ट्रान्सफर (डी0बी0टी0) के माध्यम से किया जायेगा।

4- विभागीय योजनाओं के अन्तर्गत निजी क्षेत्र में पौधशाला, टिश्यूकल्चर प्रयोगशाला, सीड इन्फ्रास्ट्रक्चर इकाई, मशरूम इकाई, शीतगृह पैक हाउस, प्याज भण्डार गृह, लघु प्रसंस्करण इकाई एवं मिनिमल प्रोसेसिंग इकाई की स्थापना संबंधी परियोजना प्रस्तावों हेतु प्रदेश के पंजीकृत/चयनित योजना लाभार्थियों से ऑन लाइन पंजीकरण कराकर परियोजना प्रस्ताव आफ लाइन प्राप्त करके डायरेक्ट बेनीफिट ट्रान्सफर (डी0बी0टी0) के माध्यम से इकाई लागत के सापेक्ष अनुमन्य अनुदान की धनराशि का भुगतान सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में किया जायेगा।

उपरोक्त के अतिरिक्त विभाग में संचालित विभिन्न योजनाओं में रोपण सामग्री एवं अन्य आवश्यक औद्यानिक एवं कृषि निवेशों पर देय अनुदान प्रदेश के पंजीकृत/चयनित कृषकों को डायरेक्ट बेनीफिट ट्रान्सफर के

http://shasanadesh.up.nic.in

माध्यम से कृषकों के बैंक खाते में सीधे भुगतान किये जाने/उपलब्ध कराने संबंधी प्रक्रिया विगत वित्तीय वर्ष 2016-17 हेतु जारी शासनादेश सं0-28/2016-912/58-2016-118/2016, दिनांक 07 अप्रैल, 2016 में निर्धारित प्रक्रिया के अनुरूप यथावत लागू रहेगी।

भवदीय,

(सुधीर गर्ग)
प्रमुख सचिव।

संख्या-14/2017-1348(1)/58-2017,तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-:

1. **निजी सचिव, मा0 मंत्री उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण, उ0प्र0शासन।**
2. **निजी सचिव, कृषि उत्पादन आयुक्त, उ0प्र0शासन।**
3. **निजी सचिव, प्रमुख सचिव, कृषि विभाग, उ0प्र0शासन।**
4. **निजी सचिव, प्रमुख सचिव, वित्त विभाग, उ0प्र0शासन।**
5. **निजी सचिव, प्रमुख सचिव, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण, उ0प्र0शासन।**
6. **निदेशक, कृषि विभाग, उ0प्र0लखनऊ।**
7. **समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0।**
8. **समस्त मण्डलीय उप निदेशक उद्यान, उ0प्र0।**
9. **समस्त जनपदीय उद्यान अधिकारी, उ0प्र0।**
10. **गार्ड फाइल।**

आज्ञा से,

(इन्दुबाला कटियार)
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in